

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई

राज्य में शुक्रवार को 208 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि गुरुवार को 252 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। इस दौरान राज्य में 208 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 98 रोगी जयपुर जिले में पाए गए हैं। हालांकि इस बीच उदयपुर में इस बीमारी से एक मरीज की मौत भी हुई है। उधर राज्य में एक्टिव केस बढ़कर साढ़े नौ सौ के पार हो गए हैं।

प्रदेश के 15 जिलों में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 203 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को 252 रोगी मिले थे। इधर आज फिर सबसे ज्यादा 98 नए संक्रमित जयपुर जिले में पाए गए हैं। हालांकि गुरुवार के मुकाबले में 87 मामले कम मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 50, कोटा में 16, अलवर में 11, अजमेर व गंगानगर में 6-6, उदयपुर में 4, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिराही में 3-3, बीकानेर, दौसा व धौलपुर में 2-2 तथा सीकर और झुंझुनूं में 1-1 नया संक्रमित मिला है। धौलपुर जिले में आज कई दिनों बाद नये संक्रमित मिले हैं।

इधर राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 28 इलाकों में नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे

■ पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा 98 नए संक्रमित जयपुर में और 50 मरीज जोधपुर में मिले हैं।

■ उदयपुर में शुक्रवार को कोरोना से एक संक्रमित की मौत हुई है।

■ राज्य में एक्टिव केस बढ़कर साढ़े नौ सौ के पार हो गए हैं, इनमें सर्वाधिक 613 मामले जयपुर में हैं।

ज्यादा सोड़ाला व सी-स्क्रीम में 9-9 नए रोगी पाए गए हैं। वहीं लालकोटी व शास्त्रीनगर में 7-7, मानसरोवर व विद्याधर नगर में 6-6, टॉक रोड इलाके में 5, बनीपार्क में 4, दुर्गापुर, गोपालपुर, तिलक नगर, वैशाली नगर व झोटावाड़ा में 3-3, आदर्श नगर, अजमेर रोड, मालवीय नगर, एमडी

रोड, राजापार्क व घाटगेट स्थित जिला जेल में 2-2 तथा प्रतापनगर, भांकरोटा, बहापुरी, गांधी नगर, जोरावर सिंह गेट, जवाहर नगर, महेश नगर और सुभाष चौक में 1-1 नया मरीज मिला है। वहीं 10 संक्रमित ऐसे हैं जिन्होंने अपना पता गलत लिखाया है।

राज्य के 18 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। इनमें से 10 जिलों में फिलहाल न कोई नया संक्रमित है और न ही कोई एक्टिव केस बचा है। प्रदेश में शुक्रवार को 17 ही मरीज ठीक होने से रिकवरी रेट घटकर 98.96 फीसदी जबकि संक्रमण दर 0.60 पर आ गई है।

राज्य में लगातार रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 963 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 613 मामले जयपुर में हैं। इसके अलावा जोधपुर में 94, बीकानेर में 43, अजमेर में 38, अलवर में 30 कोटा में 29 और उदयपुर में 20 केस हैं। अन्य 16 जिलों में इससे कम एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना से उदयपुर में 1 मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक इस बीमारी से 8964 लोगों की मौत हो चुकी है।

प्रदेश के बाहर का दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 से जुड़े मामले में शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से पूछा है कि भर्ती में प्रदेश के बाहर के दिव्यांग प्रमाण पत्र को मान्यता क्यों नहीं दी गई है। इसके साथ ही अदालत ने एक पर याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक त्यागी की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल भर्ती में विभाग ने याचिकाकर्ता की ऊंचाई कम नापी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनः नापी गई ऊंचाई अधिक निकली। इस पर हाईकोर्ट ने गत 29 जुलाई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता अर्पणिका को दो माह में नियुक्ति देने को कहा था।

वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्यों की पांच वर्ष के लिए नियुक्ति जारी कर दी है। अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग के शासन सचिव की ओर से इस बारे में गजट नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार पूर्व सांसद अशक अली टाक को (निर्विरोध निर्वाचित), विधायक रफीक मोहम्मद (निर्विरोध निर्वाचित), सैयद शाहिद हसन (निर्वाचित), शबीर अहमद शेख (निर्विरोध निर्वाचित), मोहम्मद युनुस (निर्विरोध निर्वाचित), डॉ. खानु खान बूधवाली (मनोनीत), रेशमा (मनोनीत सुत्री), डॉ. राणा जैदी (मनोनीत सुत्री) और असलम शेर खान आरएएस अधिकारी को सदस्य मनोनीत किया है।

नियुक्ति नहीं देने पर अवमानना नोटिस

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी भर्ती और एसपी सवाई माधोपुर सहित अन्य से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार मीणा को याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल भर्ती में विभाग ने याचिकाकर्ता की ऊंचाई कम नापी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनः नापी गई ऊंचाई अधिक निकली। इस पर हाईकोर्ट ने गत 29 जुलाई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता अर्पणिका को दो माह में नियुक्ति देने को कहा था।

आचार्य महाश्रमण ने डॉ. सतीश पूनिया को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने शुक्रवार को उनके निवास पर आये आचार्यश्री महाश्रमण का परिवार सहित अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

जयपुर। तेरापंथ धर्मसंघ के एकादशमाधिशाला महातपस्वी आचार्यश्री महाश्रमणजी जयपुर के राणी सती नगर विहार (प्रवास)के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया के निवास स्थान पर आये। डॉ. पूनिया ने परिवार सहित आचार्यश्री का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

आचार्य ने डॉ. पूनिया को मार्गदर्शन संदेश में कहा कि धर्म निरपेक्ष का मतलब है पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में जरूरी है कि आप धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए

राजनीति करें, जिसमें सत्य, अहिंसा, शुचिता, मूल्य आधारित राजनीति समाज की सेवा के लिए हमारा ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। आचार्यश्री ने डॉ. पूनिया को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया।

आचार्यश्री के जयपुर प्रवास पर डॉ. पूनिया के उज्ज्वल भविष्य इंटरनेशनल स्कूल से अजमेर रोड तक उनके साथ पैदल अहिंसा यात्रा में भी शामिल हुए।

आचार्यश्री को डॉ. पूनिया ने सुनील आंबेकर द्वारा लिखित पुस्तक "आरएसएस इन 21 संचुरी" सादर

दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कोठारी, पूर्व महापौर निर्मल नाहटा, उप महापौर पुनीत कर्नावट, युवा मोर्चा के सुमित अग्रवाल एवं तेरापंथी जैन समाज के प्रतिनिधि गौरव मंडोत, हिताश भांडिया, कमल डोशी, उमदे सिंह घोड़ावत, श्रेयांस डोशी, पूर्व विधायक अतर सिंह बड़ाना, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी इत्यादि भी उपस्थित रहे।

'साइबर सुरक्षा पोस्टर' का विमोचन



आवास फाउंडेसर्स लिमिटेड के सी.एस.आर. प्रोग्राम में आवास फाउंडेशन एवं सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय और आपराधिक न्याय जोधपुर की ओर से साइबर क्राइम व साइबर सुरक्षा के लिए पोस्टर का विमोचन पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी महानिदेशक पुलिस एम.एल. लाठर ने किया। साइबर क्राइम व साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए के लिए आमजन को संवेदनशील बनाने के लिये इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत आमजन के साथ पुलिस एवं युवाओं को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत की गयी। इसी तत्वाधान में राजस्थान राज्य के सभी थानों में साइबर सुरक्षा से सम्बंधित पोस्टर लगाए जायेंगे।

कोविड हेल्थ कंसलटेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियोजन अवधि बढ़ाई

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड की वर्तमान स्थिति एवं तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड हेल्थ कंसलटेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियोजन अवधि तीन माह जनवरी, से मार्च, तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से कोविड-19 की तीसरी लहर की रोकथाम, संक्रमण के प्रसार को सीमित करने तथा प्रदेश में डोर-टू-डोर सर्वे एवं दवाई वितरण के कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कोविड हेल्थ कंसलटेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मानदेय का भुगतान केंद्र के 15वें वित्त आयोग की भांति राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं या स्थानीय निकाय संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान से करने की मंजूरी भी प्रदान की है।

तीये की बैठक
अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मधु कंवर का स्वर्गवास दिनांक 30.12.2021 को हो गया है। तीये की बैठक 01.01.2022 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक निवास स्थान-27-ए, कृष्णपुरी, राकड़ी, नवजीवन स्कूल के पास, सोडाला, जयपुर पर होगी। शोककुल-डॉ. मेहन्दी सिंह भाटी (पति), करण सिंह भाटी (पुत्र), युराज सिंह (पौत्र) एवं ससल भाटी परिवार को. 9829199196, 8890462152

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सभी उपाय सुनिश्चित कर कोरोना की स्प्रेडिंग रोकें : मुख्यमंत्री

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विगत दिनों से जयपुर में बढ़ रहे कोविड संक्रमण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कर राजधानी सहित सम्पूर्ण प्रदेश में कोरोना की स्प्रेडिंग को रोकें जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोप्रीएट विहेवियर की पालना नहीं हुई तो सरकार 3 जनवरी से सख्त एवं एहतियाती कदम उठाने को मजबूर होगी। गहलोत ने कहा कि पहली लहर के समय जिस मुस्ती से रामगंज एवं भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण रोकना था, उसी गंभीरता से हमें अब भी संक्रमण को रोकना है। संक्रमण की घातकता से बचाने में वैक्सिन सबसे कारगर है। ऐसे में 31 जनवरी तक सभी पात्र लोगों को दूसरी डोज अनिवार्य रूप से लगाई जाए। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से जयपुर में कोविड केंसेज की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों में यह भांति है कि ओमिक्रॉन वैरिएंट कम घातक है, जबकि वास्तविकता में यह बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है। चिकित्सा विशेषज्ञों का

■ 'कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर 3 जनवरी से होगी सख्ती'

मानना है कि जिन वायरस की प्रसार क्षमता (आर वैल्यू) अधिक होती है, उनमें बदलाव (म्यूटेशन) भी शीघ्र होता है। जैसा कि दूसरी लहर के समय देखने में आया था। अल्फा वैरिएंट से म्यूटेटेड होकर कब डेल्टा वैरिएंट सामने आ गया, पता ही नहीं चला और इस खतरनाक वायरस ने पूरे विश्व में भयंकर तबाही मचा दी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन वायरस कब घातक रूप ले ले और हमारे सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो जाए। ऐसे में पूरी सजगता और सतर्कता बरतना जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना ही हमें तीसरी लहर से बचाव देगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संक्रमण का समय पर पता लगाकर इसका प्रसार रोकने के लिए ट्रेनिंग बढ़ाएं और सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इलाकों में अधिक केस आ रहे हैं, वहां कॉन्टेनमेंट जोन की व्यवस्था

को प्रभावी रूप से लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में अभियान चलाकर शन-प्रतिशत लोगों को दूसरी डोज लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे 31 जनवरी तक सम्पूर्ण वैक्सिनेशन आवश्यक रूप से कराएं।

चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि भारत सरकार ने कोविड केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 8 राज्यों में सख्त उपाय बरतने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान भी इनमें शामिल है। चिकित्सा विभाग प्रदेशभर में टैस्टिंग सहित तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा है।

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खारियावावा, गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, महापौर जयपुर हैरिजेंट मुनेश गुजर, महापौर जयपुर ग्रेटर शील धाबाई ने भी विचार व्यक्त किए।

प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि जयपुर में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए कॉन्टेनमेंट जोन, नाइट कर्फ्यू, होम क्वारंटीन आदि

व्यवस्थाओं को पहले की तरह प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही, अंतिम संस्कार, शादी समारोह, धार्मिक स्थल सहित अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों की संख्या को और सीमित किया जा सकता है।

बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जयपुर जिला प्रभारी सचिव सुधांशु पंत, जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा एएसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर षण्डारी, चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. वीरेंद्र सिंह, आर्युचएएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह सहित अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव, शासन सचिव स्वायत्त शासन भवानी सिंह देवा, जेडीसी गौरव गोयल, नगर निगम आयुक्त जयपुर ग्रेटर यज्ञमित्र सिंह, नगर निगम आयुक्त जयपुर हैरिजेंट अवधेश मीणा, सीएमएचओ डॉ. नरोत्तम शर्मा एवं डॉ. हंसराज बघालिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सा विशेषज्ञ उपस्थित थे।

राजस्थान आवास मण्डल, खण्ड-भिवाडी

-: आवश्यक सूचना :-

मूलात आवास संख्या 2/43 अरवली विहार योजना भिवाडी श्री विहार सिंह पाल को आवंटन पत्र क्रमांक 2119 दिनांक 24.09.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। मूलात द्वारा उनके पत्र में अर्थ प्रमाण पत्र क्रमांक 5004 दिनांक 04.03.2011 को जारी किया जा चुका है। उनके द्वारा एक आवास की निर्माण कार्य के पत्र में दिनांक 04.03.2011 को उभ पत्रिका भिवाडी में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा आवास का निर्माण दिनांक 04.03.2011 के पंजीकृत पत्रिका पत्र द्वारा श्रीमती सुमन लता पाल की राकड़ा भद्राज को किया गया। श्रीमती सुमन लता द्वारा एक आवास का भवन दिनांक 19.09.2012 के पंजीकृत पत्रिका पत्र द्वारा श्रीमती इन्द्रावती कपूरी की देवकावली को किया गया है। श्रीमती इन्द्रावती द्वारा सर्वे करे के नाम से आवंटन पत्र की प्रतिलिपि करने के लिए प्रथम एवं प्रथमश्रेणी भूक मध्यम आय वर्ग दो बार विक्रय का सवि सप्रेम 20000.00 जमा हो चुके हैं व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर विवेक किया गया है कि एक मकान का तीन स्थानानुसार उनके पत्र में किया जावे। अतः अतिरिक्त इस विक्रय पर अमाह किया जाता है कि एक मकान संख्या 2/43 अरवली विहार, राजस्थान एरवली में, भिवाडी के संघर्ष में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विक्रय या विक्रयरी को एवं आम व्यक्ति को उत्तर एरवली हो तो वह इस विक्रय के अकारि होने के 10 दिवस में आवसीय अभियान, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अन्याय एरवली लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती इन्द्रावती कपूरी की देवकावली के पत्र में मकान संख्या 2/43 अरवली विहार, राजस्थान एरवली में, भिवाडी के अन्तर्गत के तीन स्थानानुसार की कार्यवाही की जाएगी।

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

पचास लाख रुपए तक के फ्लैट्स पर स्टांप ड्यूटी में रियायत 31 मार्च तक बढ़ाई

पंजीयन के लिए प्राप्त दस्तावेजों का औसत 54 तथा प्रतिदिन का राजस्व औसत 82.43 लाख रुपए है, जो दस्तावेजों की संख्या के मामले में 13 गुना एवं राजस्व के मामले में 8 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इस वर्ष के बजट में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर दी गई इस रियायत से आमजन को काफी राहत मिली है और

राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के बकाया प्रकरणों में स्टांप ड्यूटी पर देय बकाया एवं शास्त्रि में रियायत के लिए विशेष राहत (एमनेस्टी) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 जनवरी, से 31 मार्च, तक प्रभावी रहेगी।

कार्यालय नगर परिषद, टोंक

क्रमांक- एमसीटी/स्टेट ग्रान्ट शाखा/2021-22/

दिनांक-

इश्तेहार उज्र आपत्ती

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 दिनांक 02.10.2021 के अन्तर्गत राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में नगर परिषद में स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत पट्टा चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है यदि इस कार्य से किसी आम व खास को कोई उज्र/आपत्ती हो तो परिषद में 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ती मय सबूत दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद गुजरने मियाद पर किसी भी उज्र/ आपत्ती पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और नियमानुसार पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पता	वार्ड
1	कमर मिया/स्व. सिराजुद्दीन	शर्गिद पेशा, टोंक	25
2	रामदेवा/रोड़ू माली	सरवराबाद, टोंक	60
3	कालू/लक्ष्मीनारायण माली	सरवराबाद, टोंक	60
4	सलमा निसार/निसार	मेहन्दी बाग, टोंक	14
5	हसीन अहमद/अकील अहमद खां	बावडी रोड, टोंक	
6	शोएब अहमद/अकील अहमद	बावडी रोड, टोंक	
7	अनवर अहमद/अकील अहमद	पांच बत्ती, टोंक	
8	रिजवान अहमद/अकील अहमद	पांच बत्ती, टोंक	
9	सुरेश सैनी/फाथू सैनी	बीखापुरा, टोंक	02
10	नाथूलाल सैनी/कल्याण मल	बीखापुरा, टोंक	02
11	शोजी लाल/जमना लाल	नायको का मोहल्ला छावनी, टोंक	58
12	रामअवतार बैरवा/भूरा	बिखापुरा, टोंक	02
13	सायर लाल कीर/नाथू कीर	बहीर, टोंक	01
14	चान्दमल सैनी/कान्हाराम	बिखापुरा, टोंक	02
15	रामस्वरूप सैनी/किशाना	बीखापुरा, टोंक	02
16	शान्ति सैनी/स्व. रामदेव सैनी	पुरानी टोंक	09
17	फरीद मिया/मो. रफीक	बडा कुआ, टोंक	25
18	मेहरुनिसा/स्व. मो. कफील	शार्गिद पेशा बडा कुआ, टोंक	25
19	सुरेश कुमार सिसोदिया/सूरजमल बैरवा	पुलिस लाईन खोजा बावडी, टोंक	49
20	गुलाब चंद बैरवा/नारायण बैरवा	बैरवा बस्ती बहीर, टोंक	07
21	फुलचंद बैरवा/नारायण बैरवा	बैरवा बस्ती बहीर, टोंक	07
22	मासूम अली/फहीमुद्दीन	पुरानी टोंक	43

आयुक्त नगर परिषद, टोंक